न्यायालय, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बेगूसराय

(पीठासीन पदाधिकारी– श्री बिजेन्द्र कुमार)

वैवाहिक वाद संख्या– 18/2026

रिन्टु कुमार बनाम् रानी चन्द्रप्रभा उर्फ शबनम

आदेश दिनांक– 19.03.2026

1. अभिलेख प्रस्तुत किया गया। वाद में बार–बार पुकार कराये जाने पर भी आवेदक की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुए है।

2. अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रस्तुत वाद आवेदक रिन्टु कुमार के द्वारा हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा–12(ii) के अन्तर्गत विपक्षी रानी चन्द्रप्रभा उर्फ शबनम के विरूद्ध दिनांक–19.02.2026 को दायर किया गया है और इसे आज पोषणीयता के बिन्दु पर सुनवाई हेतु रखा गया था। अभिलेख के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि आवेदक दिनांक 26.02.2026 से लगातार अनुपस्थित है। आज दिनांक 19.03.2026 को भी आवेदक अथवा उसके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित नहीं है और न ही आवेदक के द्वारा कोई स्थगन आवेदन या हाजिरी/पैरवी दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को इस वाद में कोई अभिरूचि एवं आवश्यकता नहीं रह गयी है। ऐसी स्थिति में इस वाद को आगे लम्बित रखे जाने का कोई उचित व न्यायसंगत आधार/परिस्थिति न्यायालय के समक्ष नहीं है, जिस कारण इस वाद को खारिज करना ही विकल्प है। मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह वाद, आवेदक के अनुपस्थिति के कारण तथा हाजिरी/पैरवी के अभाव में **खारिज** किया जाता है। कार्यालय लिपिक आवश्यक कार्रवाई के पश्चात् नियमानुसार अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

ह0/–

प्रधान न्यायाधीश,

परिवार न्यायालय, बेगूसराय।

19.03.2026